23–समस्तीपुर (अ.जा.)संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं बिहार विधान सभा का उप निर्वाचन, 2019

बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

ई–मेल
फोन नं0 :– 0612–2217956
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :– ceo_bihar@eci.gov.in

पत्रांकः बी1–3–126/2019– 6818 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रेषक,

बैजूनाथ कुमार सिंह,
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी
–सह–जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर, किशनगंज, दरभंगा,
सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका।

विषयः– **23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54–किशनगंज, 76–सिमरी बख्तियारपुर, 109–दरौंदा, 158–नाथनगर एवं 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 – नाम–निर्देशन पत्रों की प्राप्ति से लेकर प्ररूप '7क' तक भेजे जाने वाले प्रतिवेदनों के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि 23–समस्तीपुर (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र तथा 54–किशनगंज, 76–सिमरी बख्तियारपुर, 109–दरौंदा, 158–नाथनगर एवं 163–बेलहर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का उप निर्वाचन, 2019 के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत प्रेस नोट के माध्यम से कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान दिनांक 21.10.2019 को निर्धारित है। निर्वाची पदाधिकारी की हस्तपुस्तिका, फरवरी, 2019 के अध्याय 5, 6 एवं 7 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना है कि नाम–निर्देशन पत्रों की प्राप्ति से लेकर प्ररूप '7क' की तैयारी तक निम्नलिखित प्ररूपों में प्रतिवेदन निर्धारित समय पर इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये :–

(i) नाम–निर्देशन की सूचनाः– नाम–निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि को अपराह्न 3:00 बजे के तुरन्त बाद श्री बैजूनाथ कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के मोबाईल संख्या 8544429906 पर अभ्यर्थियों की कुल संख्या, नाम एवं संबंधित दल के संबंध में सूचित किया जाये। इसके अतिरिक्त उसी समय एक लिखित समेकित प्रतिवेदन इस संबंध में फैक्स एवं ई–मेल के माध्यम से भेजा जाये। विदित हो कि प्ररूप '3क' में सूचना इस कार्यालय को नहीं भेजनी है।

(ii) Hand Book for Returning Officer, 2019 के अध्याय–5 की कंडिका–5.20 में दिए गए निदेश के आलोक में DEO/CEO Website पर अपलोड किया जाये। साथ ही आयोग के New Subidha पर भी अपलोड किया जाय।

(iii) नाम–निर्देशन की अन्तिम तिथिः– नाम–निर्देशन के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि (30.09.2019) को Nominated Candidates की सूची (Hand Book for Returning Officer, 2019 के अध्याय 5 में दिये गए विहित प्रपत्र में) तैयार कर फैक्स एवं ई–मेल द्वारा भेजी जाये।

(iv) Nominated Candidates की सूची (हिन्दी और अंग्रेजी में) विशेष दूत के माध्यम से भेजी जाये, जो दिनांक 01.10.2019 को पूर्वाह्न 10.00 बजे तक इस कार्यालय में पहुँच जाये।

(v) नाम–निर्देशन पत्रों की संवीक्षा के लिए निर्धारित तिथि 01.10.2019 को संवीक्षा के बाद अस्वीकृत नाम–निर्देशन पत्रों की सूचना मोबाईल पर श्री बैजूनाथ कुमार सिंह, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अविलम्ब दी जाये एवं प्ररूप–4, (हिन्दी और अंग्रेजी) विधिमान्य अभ्यर्थियों की सूची, फैक्स एवं ई–मेल द्वारा और मूल प्रति विशेष दूत के माध्यम से इस कार्यालय को दिनांक 02.10.2019 तक निश्चित रूप से उपलब्ध करायी जाये।

(vi) अभ्यर्थिताएं वापसी के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि को अपराह्न 3:00 बजे के बाद इसकी सूचना दूरभाष से उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार को दी जाये एवं इसका समेकित प्रतिवेदन उसी दिन फैक्स एवं ई–मेल से भी भेजा जाये।

(vii) प्ररूप '7क' का प्रेषणः– अभ्यर्थिताएं वापसी के लिए निर्धारित अन्तिम तिथि 03.10.2019 को 3:00 बजे अपराह्न के बाद निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची प्ररूप '7क' तैयार की जायेगी।

निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर से यह व्यवस्था करेंगे कि प्ररूप '7क' में सुधार करने हेतु अधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी दिनांक 04.10.2019 को पूर्वाह्न 09:30 बजे मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय में निम्न कागजातों के साथ उपस्थित होंः–

(क) प्ररूप '7क' की 8 (आठ) हिन्दी एवं 8 (आठ) अंग्रेजी कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ।

(ख) प्ररूप '7क' की 8 (आठ) हिन्दी एवं 8 (आठ) अंग्रेजी कम्प्यूटरीकृत प्रतियाँ, जिसमें अभ्यर्थी का यथा स्थान फोटो हो।

(ग) नाम–निर्देशन पत्रों की मूल प्रतियाँ।

(घ) अन्य संबंधित कागजात (मूल रूप में)।

(ङ) मतपत्र–व्यादेश (Ballot Paper Indent)।

(च) अभ्यर्थी का फोटो।

अधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी अपने मूल पदनाम के साथ बनी सहायक निर्वाची पदाधिकारी की मुहर लेकर भी आयेंगे ताकि प्ररूप '7क' में यदि कोई सुधार आवश्यक हुआ तो उस स्थान पर सुधार कर मुहर लगा सकें।

अधिकृत सहायक निर्वाची पदाधिकारी को यह भी निर्देश दिया जाये कि वे मतपत्रों का मुद्रण करने हेतु सरस्वती प्रेस, कोलकाता जायेगें तथा प्रेस में प्ररूप '7क' के अनुसार ही मतपत्रों का मुद्रण ससमय सुनिश्चित करायेंगे।

विश्वासभाजन

ह0/- 24-9-2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019–6818 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

ह0/- 24-9-2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019–6818 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर, निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, सिवान, निर्वाची पदाधिकारी–सह–अपर समाहर्त्ता, भागलपुर, एवं निर्वाची पदाधिकारी–सह–उप विकास आयुक्त, बांका को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

ह0/- 24-9-2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार

ज्ञापांकः– बी1–3–126/2019–6818 पटना, दिनांक 25 सितम्बर, 2019 ई0।

प्रतिलिपि :– उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया/कोशी प्रमंडल, सहरसा/सारण प्रमंडल, छपरा/भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर/दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा/उप निर्वाचन पदाधिकारी, समस्तीपुर, दरभंगा, किशनगंज, सहरसा, सिवान, भागलपुर एवं बांका को अनुलग्नक की प्रति के साथ सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०:– यथा उपर्युक्त।

ह0/- 24-9-2019

(बैजूनाथ कुमार सिंह)
उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार